मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

8.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 83.60 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,60,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

8.46 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 59.22 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,22,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

8.33 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 83.3140 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,31,40,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

समचुअरी भत्ता (भारित) योजना अंतर्गत अन्य भत्ते मद में वृध्दि के कारण वर्ष के दौरान रूपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सत्कार व्यय (भारित) के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान रूपये 22,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 22,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संविदा भत्ते से व्यय (भारित) के अंतर्गत कार्यालय व्यय में वृध्दि के कारण वर्ष के दौरान रूपये 2.95 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,95,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

महामहिम राज्यपाल महोदय के आवंटित केन्द्रीय आवासों की साज-सज्जा एवं मरम्मत व्यय में वृध्दि के कारण वर्ष के दौरान रूपये 69,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 69,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधाओं पर व्यय मद में वृध्दि के कारण वर्ष के दौरान रूपये 2.76 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,76,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

लघु निर्माण कार्य मद में वृध्दि होने के कारण वर्ष के दौरान रूपये 2.54 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,54,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 8 - 12

राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत व्ययों के वर्गीकरण पेट्रोल, आतिथ्य व्यय तथा मुद्रण एवं प्रकाशन तथा मशीन और संयंत्र पर रू. 1.503 लाख एवं डिक्रीधन के भुगतान पर रू. 1.00 लाख, इस प्रकार उक्त मद में रू. 2.503 लाख का व्यय होना संभावित है। पेट्रोल, आतिथ्य व्यय तथा मुद्रण तथा प्रकाशन पर व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: इस प्रयोजन हेतु रू. 1,50,300 के अनुपूरक अनुदान तथा रू. 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 13

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के मान. सदस्यगणों के उपयोग हेतु नवीन वाहन क्रय किया जाना है जिस पर रू. 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रू. 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 14 - 18

आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के अंतर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी के उपयोग हेतु दो वाहन क्रय हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 30.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है तथा वेतन, मंहगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अतिथि व्यय तथा परिवहन व्यय पर रुपये 35.00 लाख, इस प्रकार कुल रुपये 65.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

विशेष आयुक्त कार्यालय की स्थापना अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य पर रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 25

विशेष आयुक्त म.प्र. नई दिल्ली के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, परिवहन, ग्रेड-पे तथा अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत राशि रुपये 31.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 26

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 5.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 27 - 38

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों के अंतर्गत 148 पदों के निर्माण के कारण वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते, चिकित्सा, ग्रेड-पे आदि मदों पर रुपये 4.81 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,81,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 39

आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन में सुधार तथा मध्यांचल भवन में बहुउद्देशीय कक्ष एवं फोयर के वृद्दीकरण पर रुपये 33.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 40

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों की ग्वालियर इकाई के स्टाफ क्वाटर/कार्यालय के निर्माण पर रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

मध्यांचल भवन, नई दिल्ली के निर्माण कार्य, प्रीमियम तथा लंबित देयकों के भुगतान पर रूपये 7.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के राज्य के भ्रमण मद में रूपये 3.92 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 2

यूनियन कार्बाइड जांच आयोग अध्यक्ष के उपयोग हेतु वाहन क्रय करने के लिए रू. 10.00 लाख का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अत: इस आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रू. 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 7

राज्य सत्कार कार्यालय अंतर्गत फर्नीचर, पुस्तकें, अतिथि व्यय, वाहन अनुरक्षण तथा गोपनीय सेवा व्यय आदि मदों पर रुपये 151.95 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,51,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

राज्य मुख्यालय के अन्तर्गत सामग्री एवं पूर्ति मद में रुपये 7.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-3

नारकोटिक्स विंग के सुदृढ़ीकरण एवं मशीन एवं संयंत्र मद में रुपये 1530.10 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,30,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार लोक अभियोजन के प्रशिक्षण पर रूपये 4.92 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 4,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु मटेरियल का क्रय किया जाना है, जिसपर रुपये 700.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

थानों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत पुलिस थानों के फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण पर रुपये 10.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

प्रदेश के थानो/इकाईयों में पुलिस कार्य की निर्वाध गतिशीलता हेतु प्रकाश व अन्य विद्युत यंत्रों के निरंतर संचालन हेतु सौर उर्जा संयत्रों की स्थापना की जाना है, इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 485.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरीक्षित मद के रुप में शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,85,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रदेश के पेयजल विहीन पुलिस थानो/इकाईयों में पुलिस के कर्मचारियों एवं उनके परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 645.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरीक्षित मद के रुप में शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

वेतार केन्द्र इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के ट्रेकिंग सिस्टम आदि पर रुपये 1.00 कररोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

अधीक्षक, स्टेट गैरेज के अंतर्गत कार्यभारित-आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों को वेतन भुगतान पर रूपये 1.75 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2 - 3

राज्य सैनिक बोर्ड में संयुक्त संचालक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति के फलस्वरुप महंगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे के अन्तर्गत रुपये 9.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

जिला सैनिक बोर्ड के अंतर्गत 12 जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के फलस्वरुप वेतन एवं महंगाई भत्ते में रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1

निर्देशन एवं प्रशासन योजनान्तर्गत व्यवसायिक परीक्षा मंडल को परीक्षा की राशि का भुगतान किया जाना है। जिस पर रूपये 1.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 4

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ के लिए अमले की पदस्थापना होने के कारण वेतन भत्ते मद मे कुल रूपये 7,25,000 एवं पेट्रोल तेल आदि हेतु रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 8,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

संस्थागत वित्त संचालनालय व्दारा प्रदेश में निक्षेपकों के मध्य जागरूकता अभियान संचालित करने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा रहे विज्ञापनों की प्रभार एवं मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2011 का प्रावधान किये जाने हेतु सलाहकार की फीस तथा अन्य प्रासंगिक व्यय के लिये राशि रुपये 45.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मुख्य शीर्ष 2075

मद क्रमांक 7

पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय में किराया व महसूल तथा स्थानीय कर के भुगतान हेतु रुपये 3.75 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 10

जिला पेंशन कार्यालयों में फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, लेखन सामग्री एवं फार्म तथा परिवहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 271.90 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,71,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य अंतर्गत फर्नीचर एवं उपकरण मद में राशि रुपये 285.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 7999

मद क्रमांक 12

वर्ष 2007-08 में पुनरीक्षित आकस्मिकता निधि में वृद्धि की आवश्यकता के अनुक्रम में आकस्मिकता निधि में रुपये 100.00 करोड़ का विनियोजन किया जाना है। इस विनियोजन के फलस्वरुप यह निधि रुपये 200.00 करोड़ हो जाएगी। आकस्मिकता निधि में विनियोजन हेतु रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 1 - 4

वाणिज्यिक कर विभाग की कम्प्यूटरीकरण परियोजना हेतु रुपये 2018.83 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,18,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण मद में रुपये 525.78 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,25,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2 - 5

राजस्व बोर्ड के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं याता भत्ता मद में राशि रुपये 24.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,00,000 के अनुपूरक विनियोग एवं रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 6 - 9

जिला स्थापना अंतर्गत सेक्शन राईटर को पुनरीक्षित दर से पारिश्रमिक, आतिथ्य पर व्यय, अभिभाषकों की फीस एवं परिवहन व्यवस्था के भुगतान हेतु रुपये 296.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। आतिथ्य व्यय हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया था।

अत: आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,96,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 47

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नवगठित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय हेतु वेतन भत्ते, याता भत्ता, कार्यालय व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय, नवीन वाहन क्रय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, अनुरक्षण कार्य एवं सामग्री एवं पूर्तियां आदि मदों हेतु राशि रुपये 107.23 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,07,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 48

तहसील कार्यालय एवं संयुक्त जिला कार्यालय निर्माण हेतु रुपये 413.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 09

मुख्य शीर्ष 2058

मद क्रमांक 1 - 2

नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन अंतर्गत महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु रुपये 16.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

लेखन सामग्री तथा स्टोर्स के शाखा कार्यालय के अन्तर्गत महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु रुपये 10.50 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

वन रक्षकों के प दों को भरने हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल को शुल्क के रुप में भुगतान करने हेतु रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 2

वन मार्गो की मरम्मत एवं सुधार हेतु रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

विद्युत देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष रियायतें देने के लिये राशि रुपये 86.10 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 2

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें के अंतर्गत गंभीर बीमारी के देयक की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1.54 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत डी.एफ.आई.डी. से प्राप्त अनुदान की राशि म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को जारी करने हेतु रुपये 11.87 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कृषकों को नवीन विद्युत कनेक शन हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वर्ष 2016 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले में निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लि. को रुपये 5.25 करोड़ के अनुदान की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 4

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यो के क्रियान्वयन के लिये वितरण कंपनियों को उप पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये

45.00 लाख की अतिरिक्त राशि अंशपूंजी के रुप में प्रदाय की जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 5

विद्युत वितरण कंपनियों को धन की कमी को दूर करने के लिये रुपये 400.00 करोड़ की राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रुप में उपलब्ध करायी जानी है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल बटवारे संबंधी केन्द्रीय शासन के अंतिम आदेश के अनुसार क्रमश: एस.एल.आर. एवं पी.पी. बाण्ड संबंधी देनदारियों को वहन करने का निर्णय लिया गया है। जिसके फलस्वरुप मंडल/उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की एस.एल.आर. एवं पी.पी. बांण्ड की कुल राशि रुपये 281.00 करोड़ की देनदारियों का भुगतान 31 जुलाई, 2011 तक किया जाना है। इसके लिये रुपये 281.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,81,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यो के क्रियान्वयन के लिये वितरण कंपनियों को उप पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 1.05 करोड़ की अतिरिक्त राशि ऋण के रुप में प्रदाय की जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अंतर्गत कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप-योजना में रू. 852.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 8,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत नवीन योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन की स्थापना की जाना है। जिसके लिये रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है। इसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नवीन योजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना की स्थापना की जाना है, जिसके लिए रूपये 113.72 लाख की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 10

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत कृषि शक्ति योजना में रुपये 62.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 13

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मैनेजमेंट में रुपये 90.14 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल के लिए अपलेखित वाहनों के बदले नवीन वाहन क्रय करने हेतु रू. 6.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6404

मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आणंद का एम.पी.सी.डी.एफ. एवं दुग्ध संघों पर शेष ऋण तथा ब्याज रुपये 209.16 करोड़ के विरुद्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से एक मुश्त समझौता के अन्तर्गत राशि भुगतान किये जाने हेतु एम.पी.सी.डी.एफ. को ऋण के रुप में राशि रुपये 53.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 53,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनान्तर्गत तिलहन फसलो का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता में केन्द्रांश के रुप में रुपये 138.43 लाख एवं राज्यांश के रुप में रुपये 46.14 लाख कुल रुपये 184.57 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,84,57,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

बैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. शासन केन्द्र शासन एवं नाबार्ड के मध्य एस.एल.आई.सी. की 17वीं बैठक में अनुमोदन अनुसार राज्य शासन के अंशदान की राशि स्वीकृत बजट के अतिरिक्त राशि रुपये 28,43,600 व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,43,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड की ऋण पत्रों की देयताओं के भुगतान हेतु लिये गये ऋण राशि को चुकाने के लिये राशि रुपये 113.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 22

संचालक राज्य कर्मचारी सेवायें अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय, ग्रेड-पे, अन्य भत्ते, दूरभाष, बिजली तथा दवाईयों के क्रय आदि मदों पर रुपये 1861.12 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,61,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

जिला चिकित्सालयों के लिये 50 एम्बुलेंस क्रय की जाना है प्रति एम्बुलेन्स रू. 16.50 लाख की दर से कुल रू. 8.25 करोड़ की आवश्यकता है। यह व्यय नवीन मद के रुप में शामिल है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 8,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य में डेंगू, स्वाईन फ्लू, आदि बीमारी के बढ़ते प्रकोप के रोकथाम के लिए जिला चिकित्सालय स्तर पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामग्री के क्रय के लिए रू. 80.75 लाख का व्यय अनुमानित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 80,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 6

खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम की योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे के अन्तर्गत रुपये 209.66 लाख तथा नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 6.00 लाख इस तरह कुल राशि रुपये 215.66 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,15,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 9

औषधि नियंत्रण योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते एवं ग्रेड-पे के अन्तर्गत रुपये 171.50 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,71,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2211

मद क्रमांक 10

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजना के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रू. 2.00 करोड़ का व्यय संभावित है। उक्त व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जावेगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 11

नाबार्ड के 16 वें चरण के अंतर्गत 26 सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, 92 उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रू. 9.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों के निर्माण के अंतर्गत 50 पेशेंट अटेन्डेन्ट, 20 किचन, 30 मार्चुरी भवन, 10 ओव्हर हेड टैंक के लिए रू. 1143.80 लाख का व्यय अनुमानित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 11,43,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

एक मुश्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 30 एन. आर.सी. 10 एम. सी.एच. सेन्टर, 150 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपये 3025.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजनार्थ रूपये 30,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1-3

जलपूर्ति तथा सफाई अंतर्गत महंगाई एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु राशि रुपये 123.20 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,23,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर उपकरण क्रय किये जाने प्रस्तावित है, जिसमें रुपये 36.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5-6

प्रदेश की जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण अंतर्गत महंगाई एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु रुपये 88.85 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 7

समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना में वेतन मद के अंतर्गत मंहगाई भत्ते की मद स्थापित नही है। अत: रू. 100 के प्रतीक प्रावधान के साथ यह मद स्थापित की जानी प्रस्तावित है। शेष आवश्यक राशि की व्यवस्था विभागीय बजट से की जाएगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1-2

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत शासकीय सेवकों की गंभीर बीमारी की स्थिति में वेतन अन्तर्गत चिकित्सा अग्रिम मद का प्रावधान न होने से यह मद प्रतीक प्रावधान एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु अभिभाषकों की फीस के भुगतान के लिये राशि रुपये 1,20,100 की अतिरिक्त आवश्यकता है। चिकित्सा अग्रिम की राशि की व्यवस्था विभाग के पास उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे के लिये राशि रुपये 55,15,500 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,15,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना अन्तर्गत शहरी परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 108.68 लाख का अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,08,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

बाण सागर परियोजना यूनिट-एक बांध निर्माण कार्य हेतु रुपये 2,00,00,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1-3

वृह्द तथा रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु रुपये 26.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जिला दमोह में वर्धा-राजपुर मार्ग पर बरैया नाले पर गंभीर नदी पर तथा जिला भोपाल में नसरूल्लागंज गुलरपुरा अम्बा मार्ग पर गुलरपुरा नाले पर नवीन पुलों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाएगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु क्रमश: रुपये 200 के प्रतीक तथा रुपये 26,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रदेश में सड़क मार्गो के विस्तार हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला देवास में आशीर्वाद हास्पीटल से चांदाखेड़ी सड़क का निर्माण लंबाई 19.00 कि.मी. लागत रुपये 950.00 लाख से अपरीक्षित मद के रुप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रदेश में मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रदेश में सड़क मार्गों के विस्तार हेतु रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) के अन्तर्गत निम्नांकित नवीन सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 2241.59 लाख की आवश्यकता है। नवीन कार्यो के व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। निम्नांकित कार्य, नवीन मद (स.क्र. 1-6) अपरीक्षित के रूप में सम्मिलित किये जाने प्रस्तावित है:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत (लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	उज्जैन	नरवर में आलमपुर उडाना (भुतेश्वर महादेव) व्हाया हरनावदा मार्ग	8.00	318.82	100
2.	खरगौन	कसरावद नगर से ग्राम नावडातोडी मार्ग	4.80	263.00	100
3.	रायसेन	कुटनासीर से शिवताल मलकाखी मार्ग	8.00	440.00	100
4.	दमोह	पौड़ीमाल मानगढ़ मार्ग	13.70	975.00	100
5.	सीहोर	झारखेड़ा से तुमडा मार्ग	2.00	119.41	100
6.	सीहोर	बेडापानी से ग्राम पलासी (जिला देवास)	3.00	125.36	100

	तक मार्ग			
7. दमोह	गैसाबाद अदनावारा बलेह भैसा रनेह मार्ग	20.24	992.84	100
8. उमरिया	दिग्विजय गेट पुराना पडाव से एन.एच. 78 तक	2.75	143.74	100
	योग	62.49	1361.17	800

अत: उक्त प्रयोजन हेतु क्रमश: रुपये 800 के प्रतीक तथा रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

नाबार्ड सहायता से सड़क निर्माण अन्तर्गत रुपये 35.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित) अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

बी.ओ.टी. मार्गो के विकास व पर्यवेक्षण हेतु रुपये 6.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1 - 6

संचालनालय, भौमिकी तता खनिकर्म की योजना क्रमांक 2294 आयोजनेतर के अंतर्गत खनिज निरीक्षकों की पदस्थापना, 56 नये विभिन्न पद की भर्ती प्रक्रिया कार्यभारित-आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य मदों में भुगतान करने हेतु रूपये 87.74 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 87,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म की योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में 40 वाहन नये क्रय किये गये है, जिस हेतु पेट्रोल मद में एवं महंगाई भत्ता के भुगतान करने हेतु रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

भारत भवन में कला ग्राम की स्थापना हेतु नवीन मद खोला जाना है, जिसमें रुपये 200.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत भवन के प्रशासनिक व्यवस्था अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्तों मद में रुपये 1,02,85,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शहीदों की स्मृति में मेलों के आयोजन हेतु राशि रुपये 18.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद स्मृति मंदिर निर्माण के लिये नवीन मद खोला जाना है। इस हेतु रुपये 105.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 5

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत रवीन्द्र भवन परिसर के उन्नयन हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता है। उक्त नवीन योजना 60 प्रतिशत केन्द्र द्वारा सहायतित है। अत: उपर्युक्त राशि में राज्यांश रुपये 100.00 लाख का रहेगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-2

आयुक्त लोक शिक्षण के अंतर्गत माध्यमिक शालाये एवं सरकारी प्राथमिक शालाओं के अंतर्गत ग्रेड-पे में पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण क्रमश: रुपये 90.00 करोड़ एवं रुपये 220.00 करोड़ कुल राशि रुपये 310.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2011-12 में बालिकाओं के साथ-साथ बालकों को भी लाभांवित किये जाने के लिये रुपये 660.75 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,60,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1

विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत वाहन क्रय किया जाना है, जिसपर रुपये 40.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुशरण में श्रीमती मेहमूदा बी पत्नि श्री असगर हुसैन को डिक्रीधन के भुगतान पर रुपये 63,000 का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विधि एवं विधायी विभाग के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में सुधार (13वें वित्त आयोग) हेतु रूपये 76.56 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 76,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 3 - 5

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत बी.एल.ओ. किट बूथ लेबल अधिकारियों को मोनों सहित बैग, विशेष सेवाओं की अदायगियों हेतु मानदेय सामग्रियों के प्रदाय पर रुपये 36.80 करोड़ का व्यय होना संभावित है। भारत शासन द्वारा 50 प्रतिशत व्यय भार वहन किया जावेगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 6

विधि एवं विधायी विभाग के अंतर्गत परीक्षा मद में रूपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अंतर्गत न्यायिक सेवा के अधिकारियों को यात्रा भत्ता देयक के भुगतान पर रूपये 1.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव भोपाल के लिये 1 नवीन वाहन क्रय करने की आवश्यकता है। जिसके लिये रुपये 6.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31
मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 1 - 28

राज्य योजना आयोग के अंतर्गत प्रदेश के 9 जिलों, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मंडला, सिवनी एवं उमरिया जिलों के विकास हेतु नवीन मद के रुप में विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ में पदस्थ अमले के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय आदि पर रुपये 37.70 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

योजना समीक्षा प्रकोष्ठ संबंधी व्यय हेतु रुपये 13.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 30

भारत सरकार से सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत रुपये 10.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एवं विवाह पंजीयन कार्य संबंधी मुद्रित प्रपत्रों को शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालयों से संबंधित जिला कार्यालयों तक पहुंचाने की व्यवस्था हेतु रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32
मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 1

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल को पोषण अनुदान भुगतान हेतु रुपये 25.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-2

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णयानुसार सीधी जिले के उच्च माध्यमिक शालाओं के, माध्यमिक शालाओं के कर्मचारियों को लंबित मजदूरी के भुगतान हेतु रू. 37.43 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 37,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 3-4

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार छात्रावास/आश्रम एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन क्षेत्र के कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु रुपये 88.30 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार आश्रम एवं शालाओं के कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान हेतु रुपये 56.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

संचालनालय सामाजिक न्याय के अंतर्गत नि:शक्तजनों के लिए रैम्प का निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से रु. 500.00 लाख स्वीकृत किया गया है जिसकी प्रतिपूर्ति करने तथा रू. 457.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण कुल रू. 957.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 9,57,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36
मुख्य शीर्ष 6075

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की देनदारी की कार्ययोजना बनाने के लिये एवं मुकदमों आदि के प्रतिरक्षण के लिये रुपये 2.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र. के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के लिये राशि रुपये 146.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र. के अंतर्गत अस्थायी केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 3-4

नियंत्रक नाप-तौल, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत संभागीय कार्यालयों की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वृहद् निर्माण कार्य के लिए रू. 33.14 लाख एवं बिजली एवं जल प्रभार के लिए रू. 16.00 लाख कुल रू. 49.14 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 49,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मुख्य शीर्ष 4705

मद क्रमांक 1-3

कमाण्ड क्षेत्र विकास अतर्गत फील्ड चेनल का निर्माण कराये जाने हेतु निम्नांकित राशि की अतिरिक्त आवश्यकता है।

सं.क्र.	कार्य का नाम	आवश्यक व्यय
1.	अपर बैनगंगा आयाकट फील्ड चेनल का निर्माण	5,95,39,000
2.	ग्वालियर आयाकट विकास क्षेत्र फील्ड चेनल का निर्माण	2,08,49,800
3.	बरगी आयाकट फील्ड चेनल का निर्माण	2,47,00,000
	योग	10,50,88,800

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू. 10,50,88,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित थानो/इकाईयों में पुलिस कार्य की निर्वाध गतिशीलता हेतु प्रकाश व अन्य विद्युत यंत्रों के निरंतर संचालन हेतु सौर उर्जा संयत्रों की स्थापना की जाना है, इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 385.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरीक्षित मद के रुप में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,85,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित पेयजल विहिन पुलिस थानो/इकाईयों में पुलिस के कर्मचारियों एवं परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये

जाने हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 750.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरिक्षत मद के रुप में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 3

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 268.70 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,68,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 17.90 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रदेश की बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना को विस्तारित करते हुए बालको को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 337.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,37,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 8

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ अमले के वेतन तथा महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 37.19 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,19,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 11

सिवनी जिले के घंसौर विकास खण्ड के ग्राम टुरिया में हाईस्कूल को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया जाने हेतु प्रतीक प्रावधान तथा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता तथा मान्यता शुल्क भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 400.30 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,30,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 13

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता तथा मान्यता शुल्क भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 63.17 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,17,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 14

भारत भवन के रुपंकर संग्रहालय में आदिवासी और लोक कला की बहुमूल्य कृतियां संग्रहित है। प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की कलाकृतियों पर केंद्रित एक बहुरंगी कैटलाग प्रकाशित कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 8.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 15 - 16

शिक्षा और प्रशिक्षण योजना अंतर्गत रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर, नर्सिग ट्रेनिंग सेन्टर, ए. एन. एम. ट्रेनिंग सेन्टर के उन्नयन हेतु आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों के क्रय हेतु रुपये 600.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 17

उद्यमी विकास संस्थान के स्थापना व्यय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 34.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 21

अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को अध्ययन स्थल पर ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 अंग्रेजी माध्यम की आश्रम शालाएं स्थापित की जाना है, छात्रों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति, पूर्व से संचालित आश्रमों हेतु आवश्यक सामग्री तथा आश्रम शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 190.89 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,89,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसर में पदस्थ अमले के ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 0.04 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 24

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों के छात्र छात्राओं को पोषण आहार हेतु रुपये 100/- प्रति छात्र अतिरिक्त दिया जाना है जिस पर रुपये 17.00 लाख का व्यय तथा विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय गुना, जबलपुर एवं इन्दौर के छात्र-छात्राओं को साहसिक खेल गतिविधियों हेतु रुपये 11.50 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु क्रीड़ा परिसर योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 28.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

आदिवासी वर्ग के छात्र-छात्राओं को अध्ययन स्थल पर ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीहोर जिले में 1 प्री मेंट्रीक छात्रावास की स्थापाना की जाना है, छात्रों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति, पूर्व से संचालित आश्रमों में 2400 सीट वृद्धि हेतु आवश्यक सामग्री तथा व्यवस्थाओं हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

व्यवसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 4.66 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,66,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

विभागीय योजनाओं एवं क्रियाकलापों के प्रचार प्रसार से आम जनजाति के लोगो को योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

कोल जनजाति के शैक्षणिक सामाजिक विषमताओं को दूर कर समाज की मुख्यधारा से जोड़कर इनके समग्र आर्थिक विकास हेतु शिक्षा, स्वस्थ्य, पेयजल, कृषि, सिंचाई, अधोसंरचना एवं आवास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा तथा भारिया का चिन्हांकित क्षेत्रों से बाहर निवासरत परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाना है। योजना अंतर्गत सहरिया जनजाति के 5000 से अधिक जनसंख्या वाले जिले विदिशा, रायसेन, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया । बैगा जनजाति के 5000 से अधिक जनसंख्या वाले जिले डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, सीधी, जबलपुर एवं अनुपपुर। भारिया जनजाति के 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जिले पन्ना, शहडोल, कटनी, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा सतना के सर्वेक्षण हेतु रुपये 74.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 30

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 388.83 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,88,83,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31 - 32

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु दर कम करने तथा बच्चो के पोषण स्तर में सुधार के लिये अटल बाल आरोग्य मिशन संचालित है। इस मिशन के संचालन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 1521.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,21,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 33

कृषकों को सिंचाई उपकरणो (स्प्रींकलर/रेनगन) के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत कृषि यंत्रो पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त टाप अप अनुदान दिया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनान्तर्गत तिलहन फसलो का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रुप में रुपये 261.58 लाख एवं राज्यांश के रुप में रुपये 87.19 लाख कुल रुपये 348.77 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,48,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

आदिवासी महिला कृषकों को कृषि उन्नत एवं कम लागत की खेती का तकनीकी ज्ञान प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 14.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

आदिवासी कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण के माध्यम से कृषि तकनीक की व्यावहारिक जानकारी देकर कौशल उन्नयन किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

कृषकों को सिंचाई उपकरणो के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत हस्तचलित, बैलचलित कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टाप अप अनुदान दिया जाता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 9.75 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38 - 42

कृषि शक्ति योजनान्तर्गत यंत्रदूत ग्रामों का चयन कर कृषि यंत्रो के प्रदर्शन आयोजित कर उनके उपयोग को बढ़ावा देने तथा यंत्रों के क्रय पर टॉप अप अनुदान दिया जाता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 23.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मेनेजमेन्ट योजनान्तर्गत फसल कटाई उपरांत उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रो पर अनुदान प्रदाय किया जाना तथा यंत्रों का कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन एवं कृषकों को इनके रख-रखाव एवं उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 221.32 लाख की राशि केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 44 - 46

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन, महंगाई भत्ता तथा ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 18.53 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,53,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 47

ग्राम बड़ौदा अहीर में शहीद जननायक टंट्या भील की स्मृति में स्मारक का निर्माण लागत रुपये 2.00 करोड़ से किया जाना है । इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरीक्षित मद के रुप में शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 48

ग्राम धावाबावड़ी में भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र की स्थापना लागत रुपये 1.00 करोड़ से की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह अपरीक्षित मद के रुप में शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 49

आदिवासी क्षेत्रों में 200 प्री-फेब्रीकेटेड उप स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 3300.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 50

आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 69 उपस्वास्थ केन्द्र निर्माण कराये जाने है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 700.00 लाख की आवश्यकाता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 51

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित आश्रम / छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रुप में रुपये 751.53 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,51,53,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 52

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत विविध विकास कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये रुपये 15405.05 लाख की संसूचना दी गई है। इस हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा विगत वर्षो की व्ययगत राशि के प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 6821.32 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,21,32,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 53

आदिवासी क्षेत्रों में राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी योजना अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो पर रुपये 37.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 54

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य अंतर्गत धार जिले की माही परियोजना ए. आई.बी.पी. मद से निर्माणाधीन है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 55

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खंड़	लागत (रु. लाखों में)
1.	बेरदा जलाशय	झाबुआ	पेटलावद	155.65
2.	पनास जलाशय	झाबुआ	पेटलावद	725.16
3.	जानझिरी जलाशय	बैतुल	भैसदेही	234.46
4.	कौडिया जलाशय	बैतुल	भैसदेही	519.21
5.	अरदला जलाशय	खण्डवा	पंधाना	912.74
6.	मलखेड़ा जलाशय	खरगौन	भीकनगांव	381.03
7.	बोपरपानी जलाशय	रायसेन	गैरतगंज	266.39
8.	बटकी जलाशय	बैतुल	गोर्वधनगिरी	183.09
9.	करपा जलाशय	बैतुल	मुलताई	285.93
10.	सलबाडा जलाशय	बैतुल	गोर्वधनगिरी	641.42
11.	बाघोली जलाशय	बैतुल	मुलताई	786.42
12.	मदापिपरी तलाब	खरगौन	सेगांव	203.57
13.	गारलाखेडी तालाब	देवास	टोकखुर्द	764.67
14.	भोजपुरा तालाब	देवास	टोकखुर्द	219.24

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य जिला मार्गो का उन्नयन योजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 895.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,95,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यो के लिये अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। योजना अंर्तगत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 1504.08 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,04,08,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 1602.47 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,02,47,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 1

वर्ष 2005-06 से भारत सरकार द्वारा लंबित स्वीकृतियों को पुन: इस वर्ष जारी करने के कारण मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु स्टेडियम आदि के लिये रुपये 410.00 लाख का प्रावधान केन्द्रांश के रुप में किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2

स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिये रुपये 100.00 लाख अपरीक्षित मद के रुप में शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भोपाल में क्रिकेट स्टेडियम के लिये रुपये 10.00 लाख का व्यय अपरीक्षित मद के रुप में शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

प्रदेश में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था, उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हेतु वेतन भत्ते में 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर राशि रू. 7.58 लाख की अतिरिक्त की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 7,58,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल को पूंजीगत कार्यो के लिये रुपये 50.00 लाख अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6202

मद क्रमांक 4

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनर्स को पेंशन भुगतान हेतु रुपये 325.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु निम्नांकित नवीन लघु एवं लघुत्तम 8 सिंचाई योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। जिसमे रुपये 2654.88 लाख का व्यय अनुमानित है। जिसकी व्यवस्था विभाग स्वीकृत बजट की बचत से करेगा। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	योजना का नाम	वर्तमान लागत	प्रति हेक्टर लागत	अनुदान की राशि
1.	विदिशा	बेसनगर बैराज	117.39	0.73	100
2.	विदिशा	इकोदिया बैराज	191.38	0.77	100
3.	सीहोर	बामुलिया घाट बैराज	182.37	0.91	100
4.	विदिशा	रंगई पिकअप वियर	125.73	1.01	100
5.	विदिशा	खम्बुखेड़ी बैराज	304.64	1.02	100
6.	बुरहानपुर	बनिया नाला जलाशय	245.62	1.12	100
7.	बुरहानपुर	झिरपनजारिया जलाशय	531.53	1.50	100
8.	शाजापुर	हरई तालाब	956.22	1.41	100
		योग	2654.88	7.05	800

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जल संरचनाओं के सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुर्नस्थापना (आर.आर.आर.) अन्तर्गत रुपये 30,00,00,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ए.आई.बी.पी. योजनाये हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है एवं प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु ए.आई.बी.पी. योजना के अंतर्गत निम्नांकित नवीन कार्य कराये जाने है। इन योजनाओं की अनुमानित लागत रुपये 37192.85 लाख के व्यय की पूर्ति विभाग स्वीकृत बजट से करेगा। विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	वर्तमान लागत	अनुदान की राशि
1.	भूरीघाटी जलाशय नं.2	झाबुआ	116.29	100
2.	खोखर खदान जलाशय	झाबुआ	267.15	100
3.	इटावा जलाशय	बैतूल	286.49	100
4.	डोब जलाशय	बैतूल	335.93	100
5.	झिरी जलाशय	बैतूल	166.50	100
6.	रिधौरा जलाशय	बैतूल	308.68	100
7.	सेन्दरिया जलाशय	बैतूल	598.01	100
8.	बोरगांव जलाशय	बैतूल	213.60	100
9.	खदामला जलाशय	बैतूल	228.50	100
10.	पावल जलाशय	बैतूल	316.20	100
11.	खोरा जलाशय	पन्ना	217.48	100
12.	मंगला जलाशय	पन्ना	289.72	100
13.	गिटपिटा जलाशय	पन्ना	260.26	100
14.	कोहाडोल जलाशय	पन्ना	239.43	100
15.	भैंसाडोल जलाशय	पन्ना	581.09	100
16.	नादन ताल जलाशय	पन्ना	329.64	100
17.	डोभा जलाशय	पन्ना	3095.70	100
18.	जसवंतपुरा जलाशय	पन्ना	1560.00	100

19.	मिडासन डायवर्सन	पन्ना	2497.12	100
20.	भितरीमुटमूरू जलाशय	पन्ना	3342.92	100
21.	व्दारी जलाशय	पन्ना	455.97	100
22.	ब्रिन्दावन जलाशय	पन्ना	277.64	100
23.	हरदुआ सरबाहु जलाशय	पन्ना	326.85	100
24.	छुनगुना जलाशय	पन्ना	229.88	100
25.	पगारा जलाशय	पन्ना	278.55	100
26	छनेरा जलाशय	पन्ना	416.43	100
27.	लमतरा तालाब	पन्ना	148.12	100
28.	मलधन तालाब	पन्ना	241.25	100
29.	बांध नरवा तालाब	पन्ना	202.28	100
30.	बाहोरा तालाब	पन्ना	241.18	100
31.	सलैया फेरन सिंह तालाब	पन्ना	276.85	100
32.	अटरहाई तालाब	पन्ना	207.99	100
33.	गुन्नौर तालाब	पन्ना	203.26	100
34.	सिली तालाब	पन्ना	304.36	100
35.	देवरा नं.2 तालाब	पन्ना	345.81	100
36.	शाहपुर खुर्द तालाब	पन्ना	438.78	100
37.	टोला तालाब	पन्ना	235.22	100
38.	कोरी तालाब	पन्ना	500.85	100
39.	टाला तालाब	पन्ना	174.41	100
40.	चकरा तालाब	पन्ना	630.01	100
41.	हरदुआ मेमारी तालाब	पन्ना	256.20	100
42.	चकर भाटा तालाब	पन्ना	656.79	100
43.	रंगुवा तालाब	पन्ना	263.46	100
44.	खजूरी जलाशय	खण्डवा	323.29	100
45.	जगतपुरा जलाशय	खण्डवा	950.39	100
46.	नावली जलाशय	खण्डवा	954.39	100
47.	छान बैराज	राजगढ़	194.03	100
48.	रामपुरिया बैराज	राजगढ़	107.38	100
49.	कुण्डीबेह जलाशय	राजगढ़	221.34	100
50.	जगन्नाथपुरा जलाशय	राजगढ़	492.62	100
51.	कटरमालजी जलाशय	राजगढ़	348.94	100
52.	रूपाहेडा जलाशय	राजगढ़	319.21	100
53.	रोजिया जलाशय	राजगढ़	314.84	100
54.	गोरखपुरा जलाशय	राजगढ़	2053.38	100
55.	बिरयाई जलाशय	गुना	742.36	100
56.	सालियाबेह जलाशय	गुना	178.40	100
57.	पागरीघाट जलाशय	गुना	171.65	100
58.	कालापाठा स्टापडेम	गुना	254.84	100
59.	बालकोट जलाशय	दमोह	422.97	100
60.	सिध्दबाबा जलाशय	दमोह	316.15	100
61.	सूनाज जलाशय	दमोह	1327.02	100
62.	हालोन जलाशय	दमोह	4936.80	100

योग	37192.85	6200

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6200 के प्रतीक एवं रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 5425

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद अंतर्गत ग्राम डोंगला जिला उज्जैन में निर्माणाधीन बैधशाला की स्थापना के साथ ही आडिटोरियम की स्थापना हेतु रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

ग्रीन कार्ड धारकों को दी जाने वाली सुविधा के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत ग्रीन कार्डधारी की संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाने हेतु रुपये 12.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 49
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 3

अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के लिये एक नवीन वाहन के क्रय पर रुपये 5.50 लाख, पेट्रोल तेल आदि पर रुपये 0.70 लाख तथा वाहन किराये पर रुपये 1.00 लाख कुल रुपये 7.20 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51
मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1

अंगकोरवाट एवं सीता मैया-श्रीलंका की यात्रा के लिये नवीन मद के रुप में शामिल अनुदान मद में रुपये 3.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1034.38 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,34,38,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 410.22 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,10,22,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 925.29 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,25,29,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 378.76 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,78,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1619.54 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,19,54,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 679.52 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,79,52,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 142.82 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,42,82,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 118.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,18,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 101.93 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,93,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 75.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 244.75 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,44,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 188.76 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,88,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 13

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित आश्रमों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 33.93 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,93,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित छात्रावास/ आश्रमों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 31.97 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,97,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित आश्रमों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 12.40 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित छात्रावास/ आश्रमों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 10.63 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,63,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित आश्रमों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 419.43 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,19,43,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित छात्रावास/ आश्रमों में पदस्थ संविदा शिक्षक/ शिक्षाकर्मी/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 501.53 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,01,53,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 19

राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनान्तर्गत तिलहन फसलो का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता में केन्द्रांश के रुप में रुपये 112.11 लाख एवं राज्यांश के रुप में रुपये 37.37 लाख कुल रुपये 149.48 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,49,48,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 20

आदिवासी क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रुप में रुपये 16770.06 लाख एवं राज्यांश के रुप में रुपये 2494.92 लाख कुल रुपये 19264.98 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,92,64,98,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54
मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अंतर्गत बोरलॉग इन्स्टीट्यूट फार साउथ एशिया केन्द्र की स्थापना योजना में रू. 102.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 1,02,00,000 के अनुपूरक आनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 8

जवाहर बाल भवन भोपाल में बच्चों की नैसर्गिक क्षमताओं एवं क्रियात्मक प्रवृत्तियों का विकास अंतर्गत त्यौहार एवं अनाज अग्रिम, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कार्यालय व्यय, पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां एवं सामग्री पूर्ति हेतु रुपये 6.15 लाख की अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के अंतर्गत राशि रुपये 1506.75 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,06,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 30

अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, अनुरक्षण, फार्म तथा सामग्री एवं पूर्तियां हेतु रुपये 6477.40 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,77,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) के अन्तर्गत रुपये 413.10 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,13,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत राशि रुपये 106.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33 - 45

सागर एवं छिंदवाड़ा जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना लागू करने हेतु रुपये 37,12,76,200 का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,12,76,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 46

अटल बाल आरोग्य मिशन अंतर्गत वृह्द निर्माण कार्य हेतु रुपये 15.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

राज्य आपदा राहत निधि में राशि जमा करने हेतु रुपये 200.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

एस.डी.आर.एफ. से होने वाले खर्चे का विकलन किये जाने हेतु रुपये 1000 की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

वेतन, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे में रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

आपदा प्रबंधन के प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 15.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राज्य आपदा मोचन निधि से हुये व्यय के विकलन हेतु रुपये 1000/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

ओला-पाला मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

माननीय विधायकों के विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विधान सभा स्वेच्छानुदान राशि की सीमा रुपये 3.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 8.00 लाख प्रति विधान सभा क्षेत्र की गई है। इस हेतु रुपये 11.55 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 2

म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में तकनीकी कारणों से अनाहरित राशि का भुगतान किये जाने हेतु

रुपये 1,56,59,700 का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,56,59,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 61
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत वन क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से भूमि एवं जल संरक्षण कार्य के लिये रुपये 9.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 2

पाईप लाईन द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना की वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 62
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1 - 6

संचालनालय पंचायत विभाग के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्तों के लिए नवीन मद खोला जाना है, जिसके लिए रूपये 11.82 लाख की आवश्यकता है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 14

भोपाल जिले में अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं के छात्रावास संचालन के लिए वेतन, मजदूरी, कार्यालय व्यय, सामग्री पूर्ति छात्रवृत्तियां-वृत्तियां के लिए रू. 9.93 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 1400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए एक नवीन वाहन क्रय हेतु रू. 5.50 लाख के व्यय की संभावना है। यह व्यय का नवीन मद है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 5,50,000 के अनुपूरक अनुदान के आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत् प्रदेश में 48 अनुसूचित जाति कल्याण थाने संचालित है। थानो में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्राशं एवं 50 प्रतिशत राज्याशं के रुप में राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित थानो/इकाईयों में पुलिस कार्य की निर्वाध गतिशीलता हेतु प्रकाश व अन्य विद्युत यंत्रों के निरंतर संचालन हेतु सौर उर्जा संयत्रों की स्थापना की जाना है, इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 330.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरिक्षत मद के रुप में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित पेयजल विहिन पुलिस थानो/इकाईयों में पुलिस के कर्मचारियों एवं परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 605.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरिक्षत मद के रुप में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,05,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 4

प्रदेश की बालिकाओं के साथ बालको को भी नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना से लाभान्वित किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 24.25 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रदेश की बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना को विस्तारित करते हुए बालको को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 1172.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,72,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति बाहुल्य 35 विकास खण्डो में मोबाईल हैल्थ अस्पतालो का संचालन किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 600.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित जिला चिकित्सालयों में रोगियों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों के क्रय हेतु रुपये 380.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 380.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्य के लिये कीटनाशक डी.डी.टी. एवं सिंथेटिक पायरेथ्राइड का छिड़काव किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 10

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यो के लिये भारत सरकार व्दारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि निर्गमित की जाना है। जिसमें से स्वरोजगार योजना के लिये प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 461.76 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,61,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निर्मित विभागीय छात्रावास/आश्रम के भवनों मे अतिरिक्त कक्ष, बाउण्ड्रीवाल निर्माण व मरमम्त, साज-सज्जा कार्य किये जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा आकस्मिकता योजना नियम 1995 के अंतर्गत 16 विशेष न्यायालयो के वाहन कण्डम होने के कारण नीलाम किये गये है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 16 वाहनो का क्रय 50 प्रतिशत केन्द्राशं एवं 50 प्रतिशत राज्याशं के रुप में राशि रुपये 89.60 लाख की लागत से किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 13

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्रो में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 534.64 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,34,64,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

लाड़ली लक्ष्मी योजना के संचालन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 903.77 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,03,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 15

कृषकों को सिंचाई उपकरणो (स्प्रींकलर/रेनगन) के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत कृषि यंत्रो पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त टाप अप अनुदान दिया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 148.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,48,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनान्तर्गत तिलहन फसलो का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रुप में रुपये 323.02 लाख एवं राज्यांश के रुप में रुपये 107.67 लाख कुल रुपये 430.69 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,30,69,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

अनुसूचित जाति की महिला कृषको को कृषि उन्नत एवं कम लागत की खेती का तकनीकी ज्ञान प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 18.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण के माध्यम से कृषि तकनीक की व्यावहारिक जानकारी देकर कौशल उन्नयन किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 292.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,92,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

कृषकों को सिंचाई उपकरणो के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत हस्तचलित, बैलचलित कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टाप अप अनुदान दिया जाता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 6.75 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 23

कृषि शक्ति योजनान्तर्गत यंत्रदूत ग्रामों का चयन कर कृषि यंत्रो के प्रदर्शन आयोजित कर उनके उपयोग को बढ़ावा देने तथा यंत्रों के क्रय पर टॉप अप अनुदान दिया जाता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मेनेजमेन्ट योजनान्तर्गत फसल कटाई उपरांत उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रो पर अनुदान प्रदाय किया जाना तथा यंत्रों का कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन एवं कृषकों को इनके रख-रखाव एवं उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 221.32 लाख की राशि केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 25

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार मूलक एवं विकास कार्यो के लिये भारत सरकार व्दारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि निर्गमित की जाना है। जिसमें से अनु. जाति/जनजाति के कृषको के कुओ तक विद्युत लाईन का विकास योजना के लिये प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1600.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 26

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जिला चिकित्सालयों के उन्नयन/निर्माण कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 600.00 लाख की आवश्यकाता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 300 प्री-फेब्रीकेटेड उप स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 4120.00 लाख की आवश्यकाता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत 9 प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र, 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 89 उपस्वास्थ केन्द्र निर्माण कराये जाने है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 900.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 29

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित आश्रम / छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रुप में रुपये 245.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 30

अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती में विभिन्न विकास कार्य कराये जाने है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1418.48 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,18,48,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 31

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य जिला मार्गो का उन्नयन योजना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जिला विदिशा अंतर्गत ग्राम भरना खेडा - सिलबाय - खजूरी - पीपलाधार - आमखेडा सुखा - सुलतानिया - पिपडिया धाडोन - सतपाडाहाट - वर्घा - साबुल सनौटी - सलैया - खामखेडा तमारिय सेउ तक सी. सी. मार्ग लंबाई 15.00 कि.मी. लागत रुपये 950.00 लाख से करये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान तथा अनु.जा. बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण योजना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 1152.62 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,52,62,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 652.38 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,52,38,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65
मुख्य शीर्ष 5053

मद क्रमांक 1

विमानन विभाग को नवीन हेलीकाप्टर क्रय करने के लिए आकस्मिकता निधि से रूपये 6,72,00,000 स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 6,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

नवगठित जिला पेंशन कार्यालयों के भवनों के रख-रखाव के लिये रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

परिवहन विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 3

चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग के भवन निर्माण में वर्ष 2011-12 में रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है। भवन की कुल लागत रुपये 421.00 लाख अनुमानित है। यह नवीन कार्य, अपरीक्षित मद के रुप में सम्मिलित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69

मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1 - 2

स्टेट डाटा सेंटर के संधारण हेतु रुपये 140.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425

मद क्रमांक 3

नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना अंतर्गत प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग के निर्माण हेतु रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित तथा विचाराधीन प्रकरणों में अभिभाषकों की पैरवी हेतु रुपये 40.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 2

माननीय न्यायालय के निर्देशों के पालन में अवार्ड राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रू. 1.56 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू. 1,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 3

गैस राहत क्षेत्रों के जीवन ज्योती कालोनी स्थित सड़कों के नवीनीकरण हेतु रुपये 0.25 करोड़ एवं आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु रुपये 1.00

करोड़ कुल राशि रुपये 1.25 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 1

भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के लिये विद्युत पारेषण प्रणाली के कार्य हेतु रुपये 788.78 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,88,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर को नये पी.जी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु राज्यांश के लिए रूपये 497.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 4,97,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

जल पूर्ति तथा सफाई अंतर्गत नलकूपों के अनुरक्षण हेतु रुपये 105.57 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 2

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण किये जाने हेतु राशि रुपये 139.35 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रांश अनुदान प्राप्त होने के कारण राज्यांश की राशि रुपये 448.22 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,48,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत नव निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण देने हेतु रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है। यह राशि भारत शासन से प्राप्त है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु बालिकाओं के साथ बालकों को भी लाभांवित किये जाने के लिये रुपये 28.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।